न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/164/2024 रजू दिनांकः 05.12.2024 रजि0 न0 2024/277

अपीलार्थीः–

श्री तरूण सैनी एडवोकेट, निवासी 33–एच. बैंक कॉलोनी, अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)।

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय), अलवर (राजस्थान)

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 21.01.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 25.10.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 07.01.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये प्रतिलिपि पत्रांक सम/45 दिनांक 14.01.2025 प्रेषित कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन दिनांक 25.10.2024 के माध्यम से जनसुनवाई दिनांक 11.02.2024 में प्रस्तुत परिवाद के अनुसरण में की गई कार्यवाही संबंधी सूचना चाही गई थी। उक्त आवेदन के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को कार्यालय पत्रांक लो.सू.अ/प्रथम अपील/2025/44 दिनांक 14.01.2025 के द्वार अवगत कराया है कि प्रभारी अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, अलवर को पत्रांक 2097 दिनांक 07.11.2024 के माध्यम से सूचना प्रेषण हेतु अग्रेषित किया गया किन्तु समयान्तर में सूचना अप्राप्त रहने के कारण समय पर सूचना प्रेषित नहीं की जा सकी है। अब अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) एवं प्रभारी अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट, अलवर के पत्रांक सतर्कता/सूकाअ/2024/19 दिनांक 09.01.2025 के माध्यम से सूचना (कुल 03 पृष्ठ) प्राप्त हुई है जो मूल ही संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि सूचना आवेदन के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सतर्कता/सूकाअ/2024/19 दिनांक 09.01.2025 के माध्यम से सूचना (कुल 03 पृष्ठ) प्राप्त हुई है जो मूल ही अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकी है। तथापि प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्रांक लो.सू.अ/प्रथम अपील/2025/44 दिनांक 14.01.2025 के द्वारा पूर्व प्रेषित सूचना की छायाप्रति अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा रही है। उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानानुसार विनिश्चय कर सूचना पुनः प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)